तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 43/2024 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2024/50)

अनवानः

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह जाति राजपूत, साकिन खुईयां, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजू सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत साकिन खुईया तहसील नोहर जिला बीकानेर।

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र श्री भगतुराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

27.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक कानूनी आपत्ति अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक रेस्पो. ने दौराने प्राथमिक कानूनी आपत्ति पर बहस करते हुए अवगत कराया कि तहसीलदार नोहर के द्वारा रेस्पो. की कृषि भूमि कन्वर्जन आवासीय भूमि आंदेश दिनांक 29.03.2022 को किया था, जो इन्द्राज की खातेदारी कृषि भूमि थी। अपीलांट ने उक्त कन्वर्जन आदेश के विरूद्ध बिना प्रावधान व अधिकार के अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के प्रथम अपील पेश की। द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व तहसीलदार के कन्वर्जन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश की। कन्वर्जन प्रकरण में द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में होती है। कन्वर्जन के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। अपीलांट की अपील इस न्यायालय में धारा 90 बी(7) में होती है। अपीलांट का अपीलाधीन भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, भूमि खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट उक्त भूमि का हितबद्ध पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश ही नहीं किया गया है। अतः कानूनी आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्राथमिक कानूनी आपति पेश कर अवगत कराया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा में वर्णित कथन गलत वर्णित किये जाने के कारण अस्वीकार है। प्रथम अपील संभागीय आयुक्त को होती है, स्वीकार है। उक्त द्वितीय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई है, जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रथम अपील खारिज होने पर द्वितीय अपील धारा 76 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है, वो सही की गई हैं। लोकहित के मामलों में ग्राम वासियों को आपति करने का अधिकार है। कन्वर्जन की गई भूमि मौके अनुसार ग्राम की गोचर भूमि हैं। प्रकरण गोचर भूमि व खातेदारी भूमि के बीच का है, जिससे अपीलांट सार्वजनिक हित में अपील पेश कर सकते है। अपीलांट ग्रामीण होने व गोचर भूमि का विवाद होने से हितवद्ध पक्षकार है। कन्वर्जन के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में लाई करती हैं, जो कानूनन पेश की गई है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपतियां खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

E. Nirnay 2020

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक कानूनी आपतियों व जवाब प्राथमिक कानूनी आपतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा की गई बहस प्राथमिक कानूनी आपतियों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपीलांट की अपील को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने धारा 76 एल.आर.एक्ट के तहत इस न्यायालय में अपील पेश कर दी, जो न्यायोचित नहीं है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश किया है, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट तहसीलदार नोहर के उक्त आदेश दिनांक 29.03.2022 से प्रभावित है। उक्त परिपेक्ष्य में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक कानूनी आपत्ति अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

E. Nirmay 2020